सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 3775 /सी दिनांक 02 सितम्बर 2021	फोन नं0-06152-240001, 240002 फैक्स नं0-06152-240006 ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in

संयुक्त आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 6प/नि0प0नि0-03/2021/4715/ पं0रा0, पटना, दिनांक 24.08.2021 द्वारा इस जिले के ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य, पंचायत समितियों के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य तथा ग्राम कचहरियों के सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिये दस चरणों में मतदान की घोषणा की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत के चार पद यथा-ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन/मतदान ई0वी0एम0 द्वारा तथा ग्राम कचहरी के दो पद यथा सरपंच एवं पंच का निर्वाचन/मतदान मतपत्र/मतपेटिका के माध्यम से कराये जायेंगे तदनुसार सारण जिला में प्रखंडवार मतदान का कार्यक्रम निम्नलिखित है :-

चरण	प्रखंड का नाम	प्रपत्र-5 में सूचना का प्रकाशन	नाम निर्देशन की अंतिम तिथि	मतदान की तिथि	मतगणना की तिथि
1	2	3	4	5	6
प्रथम	-	-	-	-	-
द्वितीय	मांझी	06.09.21	13.09.21	29.09.21 (बुधवार)	01.10.21 एवं 02.10.21
तृतीय	गड़खा	15.09.21	22.09.21	08.10.21 (शुक्रवार)	10.10.21 एवं 11.10.21
चर्तुथ	मशरख पानापुर	24.09.21	01.10.21	20.10.21 (बुधवार)	22.10.21 एवं 23.10.21
पंचम	इसुआपुर तरैया	29.09.21	06.10.21	24.10.21 (रविवार)	26.10.21 एवं 27.10.21
षष्ठम	दिघवारा सोनपुर	04.10.21	11.10.21	03.11.21 (बुधवार)	13.11.21 एवं 14.11.21
सप्तम्	रिविलगंज जलालपुर नगरा	18.10.21	25.10.21	15.11.21 (सोमवार)	17.11.21 एवं 18.11.21
अष्टम	लहलादपुर बनियापुर	20.10.21	27.10.21	24.11.21 (बुधवार)	26.11.21 एवं 27.11.21
नवम्	छपरा, सदर एकमा	22.10.21	29.10.21	29.11.21 (सोमवार)	01.12.21 एवं 02.12.21
दशम्	अमनौर मढ़ौरा	25.10.21	01.11.21	08.12.21 (बुधवार)	10.12.21 एवं 11.12.21
एकादश	परसा दरियापुर मकेर	17.11.21	24.11.21	12.12.21 (रविवार)	14.12.21 एवं 15.12.21

2- नाम निर्देशन करने तथा नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए एवं अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने हेतु 11.00 बजे पूर्वाहन से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित है। मतदान का समय सुबह 07.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक होगा।

3- सभी प्रखंडों की मतगणना का कार्य कॉलम 6 में अंकित तिथियों के अनुसार प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। मतगणना स्थल की सूचना बाद में दी जायेगी।

4- उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में ग्राम पंचायतों/ पंचायत समितियों/ ग्राम कचहरी के पदों पर निर्वाचन हेतु संबंधित प्रखंड कार्यालय और जिला परिषद सदस्य पद के लिये निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमण्डल कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा स्वयं दाखिल किया जायेगा।

नाम निर्देशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

5- नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान संभावित विधि व्यवस्था की समस्या को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकरी/बल की प्रतिनियुक्ति हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे नामांकन के दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं होने दें और हर हाल में विधि व्यवस्था बनी रहे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने पाये।

6- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अविलंब निषेधाज्ञा जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

7- पंचायत आम निर्वाचन-2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से सारण जिले के पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जो अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक जारी रहेगा। चुनाव कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलग्न सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी शिकायत का अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है, और विशेष रूप से वे सरकारी तंत्र एवं मशीनों सहित सरकारी परिवहन और कर्मचारियों का उपयोग अपने हित साधन के लिये नहीं करेंगे। सभी पदाधिकारी चुनाव के दौरान पूरी तरह से निष्पक्ष आचरण रखेंगे। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

8- कोविड-19 संबंधी सावधानियाँ-

वर्त्तमान समय में देश कोविड-19 से संघर्षरत है। सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड़ सभाओं एवं जुलुस के दौरान कोविड-19 के संबंध में समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है -

(1) समाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन
(2) प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना
(3) समय समय पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि

कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।

9- सभी पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रीगण/संसद सदस्य/ विधान मण्डल सदस्य/ अन्य पदाधिकारीः-

- किसी भी रूप में किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा अथवा उसके लिये आश्वासन नहीं देंगे।
- किसी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास आदि नहीं करेंगे।
- सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं आदि की व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे।
- शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करे, नहीं करेंगे।
- किसी प्रत्याशी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्त्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय किसी मतदान केन्द्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।
- किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक ही स्थान पर अनेक उम्मीदवार सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन दिया हो।
- विश्राम गृह, डाकबंगलों के उपयोग की अनुमति सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष ढंग से उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी।
- चुनाव के दौरान यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई नियंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
- सरकारी संसाधनों यथा टेलीफोन, फैक्स, सरकारी वाहन अथवा सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिये नहीं किया जाना चाहिए।
- साधारणतः चुनाव के समय जो भी सभा आयोजित की जाय उसे चुनावी सभा माना जाना चाहिए और उसपर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।
- पंचायत निर्वाचन के क्रम में पदाधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है।
- किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्धटना को छोड़कर, जिसमे कि प्रभावित लोगो को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्चक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

10- **विकास योजनाओं का क्रियान्वयन**

नवीन योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर रोक-

(1) पंचायत राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित है, जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है एवं जिनका चयन/क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, तथा जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है-

-मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

-मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

-15 वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएँ

-ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

-केन्द्र/राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन/क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है,

उक्त योजनाएँ यदि पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है उन पर रोक नहीं है लेकिन नये सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारम्भ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

(2) उक्त योजनाओं के साथ-साथ अन्य सभी नई योजनाऐं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों कि प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो, को भी उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर प्रारम्भ/क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।

(3) बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका और सहायिका के चयन, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, पर प्रतिबंध रहेगा।

(4) सांसद एवं विधायक निधि से नये योजनाओं की स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन पर पाबन्दी रहेगी। किन्तु पंचायत की योजनाएं जो पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है उन पर रोक नहीं होगी। पूर्व से स्वीकृत योजना एवं जिस पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना निर्गत करने की तारीख से विधिवत परिणाम की घोषणा होने तक संबंधित जिला में मंत्रियों, संसद सदस्यों या राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकत्रत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

11- **योजनाएं जिनपर रोक नहीं है-**

(1) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(2) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (Shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में मजदूर की माँग है। जबतक चालू योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी।

Shelf of projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर सकता है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(4) आपात योजनाएँ यथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबन्दी नही रहेगी।

(5) सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(7) केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाऐं जिसके क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्था की भूमिका नहीं है उस पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगा।

12- विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन किया जाय। विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है न कि किसी समुदाय विशेष के विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं का अर्थ सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिये छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनायें सामान्य विकास योजनाओं की श्रेणी में नहीं आयेंगी। इस आलोक में निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जायः-

- ऐसी सभी योजनायें जो पहले से स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य प्रगति में है, का क्रियान्वयन होता रहेगा।
- इसी प्रकार ऐसी सभी योजनायें जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और इसके लिये अब निधि उपलब्ध हो गई है, उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकता है।
- केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- ऐसी केन्द्रीय योजनायें जिसके लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से प्राप्त होती है और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है उन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- मनरेगा के अंतर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- निबंधित लाभार्थियों के लिये वैसी नई योजनायें निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरंभ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची (Shelf of Projects) में पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिये पूर्व से निधि कर्णकित (Earmarked) कर दी गई है एवं क्षेत्र में लेबर की मांग है। जब तक चालू योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तब तक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरंभ नहीं की जा सकेगी।

Shelf of Projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करा सकता है।

- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकता है।
- आपात योजनायें यथा बाढ़ निरोधक योजनाओं, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण (कम्प्यूटर आदि चालूकरने) पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर पाबंदी नहीं रहेगी।
- किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारंभ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य यथा शिलान्यास आदि नहीं किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से करवाया जायेगा।
- सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशो के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका संसूचना प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

13- पंचायतों (जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत) के पदाधिकारी निम्नलिखित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

- पंचायत कर्मचारियों को अपना कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ करना चाहिए और ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में कार्य कर रहे हैं।
- पंचायत के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।
- पंचायत क्षेत्र में किसी नये भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्द्धन या परिवर्त्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।
- पंचायत क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिये स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या उसमें खड़ंजा बिछाना, नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नए हैंण्ड पम्प लगाना, नई स्ट्रीट लाइट लगाना) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
- पंचायत के खर्चे पर कोई पैम्फलेट या विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पंचायत की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।

14- प्रत्येक उम्मीदवार को प्रस्तावित सभा या जुलूस के लिये पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही अनुमति मिलने पर समय एवं स्थान की सूचना स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को आयोजन के पूर्व देनी अनिवार्य है। इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार संतुष्ट हो लेंगे कि इससे जनसाधारण के अमन चैन में कोई बाधा नहीं होगी और वे अनुज्ञा पत्र में उस अवधि/समय का भी उल्लेख कर देंगे जिसके लिये अनुमति दी जायेगी।

15- बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रस्तावित सभा अथवा जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग किसी वाहन पर किया जायेगा तो वे अनुज्ञा पदाधिकारी को वाहन के नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन देंगे जिसका उल्लेख अनुज्ञा पत्र में भी किया जाना अनिवार्य होगा।

16- यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहें तो संयोजक आपस में निर्णय कर टकराव रोकने के उपायों का विनिश्चय कर लेंगे तथा सभी पक्षकार यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस से संपर्क करेंगे।

17- किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/ सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/ बैनर लगाने, पोस्टर/ नोटिस चिपकाने नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

18- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सार्वजनिक स्थल/ सरकारी उपक्रम आदि पर यदि कोई पोस्टर/ बैनर लगा है या दीवाल लेखन किया गया है तो उसे अविलंब हटवा दिया जाय।

सभी पदाधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती और ईमानदारी से अनुपालन करेंगे ताकि पंचायत आम चुनाव 2021 को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में सम्पन्न कराया जा सके।

02.09.21

पुलिस अधीक्षक,
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी,
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण, छपरा

ज्ञापांक 3775/ सी, छपरा, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, सारण/अपर समाहर्त्ता, सारण/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण/सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सरण जिला/ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा, सोनपुर एवं मढ़ौरा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सारण जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला/सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सारण जिला/ सभी थानाध्यक्ष, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02.09.21

पुलिस अधीक्षक,
सारण, छपरा

जिला पदाधिकारी,
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण, छपरा

ज्ञापांक 3775/ सी, छपरा, दिनांक 02 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि- आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण प्रक्षेत्र, छपरा को सादर सूचनार्थ।

02.09.21

पुलिस अधीक्षक,
सारण, छपरा

2.9.21

जिला पदाधिकारी,
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण, छपरा